राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी–3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर
ई–मेल:adpension.sje@rajasthan.gov.inदूरभाष: 0141–2740637

मांक:– एफ 9(5)(07) बी पी एल सहायता/सा.न्या.अ.वि./2019–20/19376–408 जयपुर, दिनांक:–02.04.2020

ला कलक्टर (समस्त)
जस्थान।

विषय:– जरूरतमन्द परिवारों को ex-gratia सहायता की अतिरिक्त राशि रूपए 1,500/– प्रति परिवार उपलब्ध कराने के क्रम में।

राज्य सरकार द्वारा कोरोना महामारी से उत्पन्न स्थिति में जरूरतमंद परिवारों को राशि रूपए 000/– प्रति परिवार ex-gratia सहायता उपलब्ध कराने के विस्तृत दिशा–निर्देश श्रम एवं रोजगार भाग के आदेश दिनांक 25.03.2020 के द्वारा जारी किए गए थे।

1. अब राज्य सरकार द्वारा संदर्भित आदेश में उल्लेखित विभिन्न श्रेणियों के पात्र परिवारों को राशि रूपए 1,500/– की ex-gratia सहायता और देने का निर्णय किया गया है। इस हेतु इस रूपए 1,500/– की सहायता को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूर्ववत् (श्रम विभाग के संदर्भित आदेश दिनांक 25.03.2020) के अनुरूप ही रहेगी।
2. इस प्रकार जिन 30 लाख 81 हजार 634 पात्र परिवारों को राज्य स्तर से रूपए 2,500/– (रूपए 1,000 + रूपए 1,500) की सहायता उपलब्ध करा दी गई है, उनके अतिरिक्त श्रेणी 1 व 2 के शेष परिवारों तथा श्रेणी 3 व 4 के समस्त परिवारों (श्रेणियों का विवरण श्रम विभाग के संदर्भित आदेश में उल्लिखित है) को सहायता जिला स्तर पर निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से उपलब्ध कराई जानी अपेक्षित है। यहाँ यह भी उल्लेख करना समीचीन है कि प्रथम किस्त राशि रूपए 1,000/– की सहायता राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र (UC) जिला कलक्टर द्वारा संदर्भित आदेश के अनुसार श्रम विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा, तथा द्वितीय किस्त की राशि रूपए 1,500/– के क्रम में उपयोगिता प्रमाण–पत्र (UC) आयुक्त सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा।
3. पूर्ववत् राशि रूपए 1,500/– प्रति परिवार की सहायता हेतु संबंधित जिलों के जिला कलक्टर द्वारा इंगित बैंक खाते में परिशिष्ठ–1 के अनुसार राशि हस्तांतरित कर दी गई है।
4. राज्य स्तर से जिन पात्र परिवारों को सहायता राशि सीधे DBT के माध्यम से उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की गई है, उनकी सूची क्षेत्रवार डाउनलोड करने की प्रक्रिया परिशिष्ठ–2 पर संलग्न है। उक्त प्रक्रिया से अपना SSO Login Id का उपयोग करते हुए उपखण्ड अधिकारी/विकास अधिकारी/तहसीलदार/कार्यकारी अधिकारी नगरपालिका के द्वारा सूची डाउनलोड की जा सकेगी तथा इस आधार पर यथासंभव दोहरे भुगतान को रोकते हुए पात्र परिवारों को जिला स्तर पर भुगतान किया जाए किन्तु यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि सम्पूर्ण सूची का अवलोकन कर दोहरे भुगतान को रोकने से अधिक महत्वपूर्ण जरूरतमन्द व्यक्ति/परिवार को तत्काल सहायता उपलब्ध कराना है।

उक्त कार्य की निरंतर समीक्षा कर इसका समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

(अखिल अरोरा)
प्रमुख शासन सचिव